अधिसूचना संख्या 58/2016 [एफ.सं.203/33/2015/आईटीए-II] , दिनांक 18-7-2016

सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि संगठन मेसर्स भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली (पैन:- एएएएयू781के) को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (*1*) के खंड (*ii*) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित, केन्द्र सरकार द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद से अनुसंधान गतिविधियों में लगे "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान" की श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात:-

(*i*) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(*ii*) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(*iii*) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपने द्वारा प्राप्त राशियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखेगा, अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को उनमें दर्शाएगा, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी पुस्तकों की लेखापरीक्षा कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आयकर वितरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(*iv*) अनुमोदित संगठन को प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का पृथक विवरण रखना होगा तथा लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

3. केंद्र सरकार अनुमोदित संगठन की मंजारी वापस ले लेगी यदि:—

(*a*) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद(*iii*) में निर्दिष्ट अलग-अलग खाता बही बनाए रखने में विफल रहता है; या

(*b*) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (*iii*) में निर्दिष्ट अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*c*) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (*iv*) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और लागू राशि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*d*) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ

वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(*e*) उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ङ के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (*ii*) के उपबंधों के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।

■■